



# HAPUR

# POLICE



पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविकशन" अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

**Meticulous Investigation & Prosecution**



थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2016 धारा 377 भादवि, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम विशाल पुत्र अनिल कुमार निवासी बाबूगढ़ छावनी थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ मामले में मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो हापुड़ का निर्णय ।



@hapurpolice



Hapur Police



hapurpolice

